

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- ततारपुर

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
203/16

रजू दिनांक
26.08.2016

अन्तिम चिर्णय दिनांक
21.05.2018

अनुवान

1. शर्मिला देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार जाति अहीर निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।


:-वादीया

बनाम

1. माडाराम पुत्र भीखाराम
2. सुनीता पत्नी शिब्याराम
3. मनोज पुत्री शिब्याराम
4. रिकू पुत्री शिब्याराम (फौत)
- 4/1 रजनेश
- 4/2 मोनू नाबालिग जय्ये पिता अशोक पुत्र दाताराम अहीर निवासी खेडा तहसील बानसूर
5. कृपा पुत्री शिब्याराम
6. राजबाला पत्नी नेतराम
7. रतीराम
8. सुरेन्द्र कुमार
9. अशोक कुमार पुत्रान नेतराम
10. चेताराम पुत्र भीखाराम
11. गंगादीन पुत्र रामरतन
12. शीशाराम पुत्र श्योनारायण जातियान अहीर निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर
13. राजस्थान सरकार जय्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर।

:-प्रतिवादीगण

दावा-खाता विभाजन


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

—:अन्तिम पर्चा डिक्री:—


दिनांक:— 21.05.2018

वादीया स्वयं एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 21.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

विवादित आराजी ख0 नं0 925/1-26 है0 वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मान) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)